


18.03.2025:-पत्रावली आज वादी अमानत अली जारिये अधिवक्ता श्री मोहन मुजाल के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारन न सहमति से विवाद सुलझा लिया है। इसलिए वाद को आगे नहीं चलाना चाहते। वादपत्र इसी स्तर पर विदझावल करना चाहता है। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर अगुठा/हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा कि गई। उक्त प्रार्थना पत्र नयायाहित में स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र मौजूदा सूरत में विदझावल किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।


सहस्यक कलक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

